न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 27/2022

1. आशा देवी शर्मा पुत्री स्व. श्री जगन्नाथ शर्मा पत्नि सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणो की बस्ती, ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी 263 / 274 प्रताप नगर, एन आर आई सर्किल के पास, सेक्टर 26, सांगानेर जिला जयपुर।
2. चमेली देवी उर्फ गायत्री देवी पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रदीप शर्मा उर्फ दीपक जी जाति ब्राहमण निवासी पोस्ट ऑफिस के पास लवाण तहसील लवाण जिला दौसा हाल निवासी मकान नम्बर 11, मधुवन वाटिका, आगरा रोड, प्रेमनगर जयपुर।

...अपीलांट्स

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ उम्र 42 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा हाल निवासी ललिता भवन, 11/161, शिक्षक कालोनी, राष्ट्रीय बाल मन्दिर स्कूल के पास, गुप्तेश्वर रोड दौसा।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ उम्र 46 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा हाल निवासी ललिता भवन, 11/161, शिक्षक कालोनी, राष्ट्रीय बाल मन्दिर स्कूल के पास, गुप्तेश्वर रोड दौसा।
3. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।
4. राजस्थान सरकार द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार दौसा, जिलादौसा।
5. तहसीलदार दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा।
6. उप पंजीयक, दौसा, जिला दौसा।

...रेस्पों0

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरण संख्या 73 दिनांक 21.04.1992 ग्राम खुरी खुर्द तहसील व जिला दौसा विरासत मृतक जगन्नाथ पुत्र भूरा कौम ब्राहमण जो तहसीलदार दौसा द्वारा पारित किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2

निर्णय — दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम खुरी खुर्द के पारित नामान्तरण सं0 73 दिनांक 21.4.1992 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि उक्त नामान्तरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 14.8.2022 को दैनिक समाचार पत्र में दौसा तहसील में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे बांदीकुई से जयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की अवाप्ति सूचना से जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट ने जमाबंदी व नामान्तरण की नकलें अधिवक्ता के मार्फत से प्राप्त की जो दिनांक 26.8.2022 को प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरण प्रारंभ से ही कानूनन अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य नामान्तरण है जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कोई मियाद नहीं होती है क्योंकि ऐसे अवैध, अमान्य व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रभावशून्य नामान्तरण आदेश कानूनन प्रारंभ से ही शून्य माने जाते है। जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश है। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 2 ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट्स को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील 30 वर्ष के असाधारण विलंब से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

4. उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरण अपील तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 21.4.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। नामान्तरण अपील की मियाद 30 दिवस की होती है एवं यह अपील वर्ष 2022 में अर्थात 30 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **H. guruswamy & ors. v./. Krishnaiah** में यह प्रतिपादित किया गया है की मियाद के नियम विलंबकारी चाल को बचाने के लिए है एवं लिटिगेन्ट स्वयं की डेडलाईन तय नहीं कर सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अन्य निर्णयों में भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियम सिर्फ प्रकिया नहीं है, सार्वजनिक नीति का हिस्सा है जिससे कानूनी निश्चिंतता बनी रहती है तथा अनिश्चित काल तक मुकदमों को खटखटाया नहीं जा सकता। धारा 5 के तहत जो देरी संभवतः माफ की जा सकती है उसे केवल तभी माफ किया जाता है, जब पर्याप्त कारण हो। अर्थात ऐसा कारण जिसके लिए पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकरण में ऐसा कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। न्यायालय उसे अपवाद रूवरूप ही अपनाती है जिसे संक्षिप्त देरी और इमानदारी से प्रस्तुत कारण प्रतिवादी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह या अनाचार ना हो। यह प्रकरण 30 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:06 IST
Reason: SelfAttested